



Neutral Citation No-2026:AHC:11068

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5086 वर्ष 2025

घुरहू याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कृष्णा दत्ता तिवारी, सुप्रिया पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य-प्रतिपक्षियों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"I. प्रतिपक्षी संख्या-2-चकबंदी अधिकारी कश्यप को पडरौना, जिला कुशी नगर में आदेश देने या निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करता है- यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत मामले संख्या-202154054465040122 (केस संख्या-399 + 400) (घुराहू बनाम अजय और अन्य) पर फैसला करने के लिए यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत गांव सेमारा हरदो, टप्पा चौरा बड़गांव, परगना सिद्धुआ जोबना, तहसील पडरौना, जिला कुशीनगर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर स्थापित किया गया है।



3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत समेकन अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत आपति 2016 से विचाराधीन है, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।
4. स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी करने में कोई आपति नहीं है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, इस निर्देश के साथ कि पदरौना में चकबंदी अधिकारी कषाय, जिला कुशी नगर (प्रतिपक्षी संख्या-2), जिसके समक्ष उपरोक्त मामला विचाराधीन है, कानून के अनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, शीघ्रता से विचार करेगा और निर्णय लेगा।
6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।
- 7 . उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 14, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)